न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2016 अपील

1. श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा पुत्री स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला तहसील सहाडा पत्नी शंभुलाल शर्मा निवासी चिलेश्वर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री शान्ता देवी शर्मा पुत्री स्व. मांगीलाल शर्मा पत्नी रामस्वरूप शर्मा निवासी विजय नगर मार्फत शंभुलाल शर्मा निवासी चिलेश्वर तहसील माण्डल
2. विष्णु पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
3. श्रीमती तृप्ति देवी विधवा तेजमल शर्मा निवासी लाखोला
4. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
5. अशोक पुत्र स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
6. सत्यनारायण पुत्र स्व. मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
7. शंभुलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला तह0 सहाडा जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री एम. एल बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विजय जीनगर अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट की ओर से

अपील विरूद्व आदेश नामान्तरकरण संख्या 119 ग्राम सहाडा तहसील सहाडा दिनांक 30.06.1999 द्वारा तहसहीलदार सहाडा
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 19.01.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 119 पर पारित आदेश दिनांक 30.06.1999 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत की गयी है । अपील अपीलार्थी दिनांक 06.05.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया । अपीलार्थी की अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं. 1,2,4,5,6 स्व. मांगीलाल शर्मा निवासी सहाडा के प्रथम श्रेणी के वारिसान कायम मुकाम है । स्व. मांगीलाल का

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

एक पुत्र तेजमल शर्मा और था जो फौत हो जाने से उसकी विधवा श्रीमती तृप्ति देवी को पक्षकार बनाया गया है। यह तृप्ति देवी स्व. मांगीलाल शर्मा की पुत्रवधु होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है । आवेदन में प्रस्तुत सजरे अनुसार अपीलाण्ट स्व. मांगीलाल की सगी पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है उसे भी रेस्पोडेण्ट के समान ही बराबर का अधिकार होते हुए भी तत्कालिन पटवारी ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं.उ 01 का नाम सजरे में अंकित नहीं किया एवं न ही अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.1999 में अंकित किया। साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक सहाडा ने भी बिना रिपोर्ट देखे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर यकीन करके अपनी रिपोर्ट अंकित कर दी । तहसीलदार सहाडा ने भी मृतक मांगीलाल शर्मा निवासी सहाडा के सभी वारिसान कायम मुकाम की जांच किये बिना ही शिविर सहाडा में एक ही दिन दिनांक 30.06.1999 को ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं. 01 अन्य वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की है । उसमें भी अपीलाण्ट व सभी रेस्पोडेण्ट के नाम पर इन्तकाल फेसल किया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट मृतक मांगीलाल व मृतका कमला देवी की प्रथम श्रेणी की वारिस है और उसके तथा रेस्पोडेण्ट सं. 01 के नाम पर भी विरासत से नामान्तरकरण फैसल होना चाहिए । अपीलाण्ट इन्तकाल सं. 119 में पक्षकार नहीं थी । रेस्पोडेण्ट के उजर को रफा करने के लिए एवं पीड़ित होने से धारा 96 जा.दी. का आवेदन अलग से प्रस्तुत है तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया गया है । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम सहाडा का इन्तकाल सं. 119 निरस्त फरमाया जावे व अपीलाण्ट को सुनवाई का न्यायहित में अवसर दिलाने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा के नामान्तरकरण सं. 119 दिनांक 30.06.1999 की मूल पत्रावली पत्र कमांक 1922 दिनांक 14.12.16 से प्राप्त हुयी है।

रेस्पोडेण्ट सं. 03 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 04.01.2017 को जवाब प्रस्तुत किया । जिसमें बताया गया कि इस प्रकरण में अपीलार्थी सं. 01 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । उक्त नामान्तरकरण सं. 119 दिनांक 30.06.1999 को फेसल हुए अरसा करीब 17 वर्ष हो गये है एवं अगर अपीलार्थी का कोई हित होता तो ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार

कार्यवाही कर पक्षकार बनाये जाते परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी स्व0 मांगीलाल की पुत्री है एवं उनका उक्त सम्पत्तियां में कोई हक निहित है । जिससे अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अतः निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दु सं. 1 से लगायत 12 के तथ्यों को दोहरातें हुये बताया कि तहसीलदार सहाडा ने मृतक मांगीलाल शर्मा निवासी सहाडा के सभी वारिसान कायम मुकाम की जांच किये बिना ही शिविर सहाडा में एक ही दिन दिनांक 30.06.1999 को ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं. 01 अन्य वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की है । अपीलाण्ट की माता श्रीमती कमला देवी का निधन होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 2799 दिनांक 20.01.2016 को उसमें अपीलाण्ट व अन्य सभी रेस्पोडेण्ट्स के नाम पर विरासत से इन्तकाल फैसल किया गया। इसी प्रकार ग्राम सहाडा में भी अपीलाण्ट की माता श्रीमती कमला देवी के फौत होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 1427 दिनांक 05.01.2016 को फैसल किया गया। उसमें भी अपीलाण्ट व सभी रेस्पोडेण्ट के नाम पर इन्तकाल फेसल किया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट मृतक मांगीलाल व मृतका कमला देवी की प्रथम श्रेणी की वारिस है और उसके तथा रेस्पोडेण्ट सं. 01 के नाम पर भी विरासत से नामान्तरकरण फैसल होना चाहिए । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम सहाडा का इन्तकाल सं. 119 निरस्त फरमाया जावे व अपीलाण्ट को सुनवाई का न्यायहित में अवसर दिलाने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे । अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त कमशः आर.बी.जे.(16) 2009 पेज सं. 204 से लगायत 207 प्रस्तुत किये है ।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थीया ने 17 वर्षों बाद उक्त नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की है व डिले का कोई संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा न प्रार्थीया का मृतक मांगीलाल की सम्पत्ति में कोई हक नहीं बनता है लेकिन प्रार्थीया ने विपक्षीगण को जलील व परेशान करने की गरज से झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज की जाने योग्य है।

उक्त भूमि में दर्ज हिस्सेदारों के हिस्से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाडा के रहन है जिन्हें भी पक्षकार नहीं बनाये है तथा प्रार्थीया को उक्त रहन की जानकारी है जिससे भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपील के खण्डन में विधिक दृष्टान्त क्रमशः आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज सं. 292 , आर.आर. टी. 2006–07 पेज सं. 261 प्रस्तुत किये है ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है । अपीलाण्ट के व रेस्पोडेण्ट सं. 1,2,4,5,6 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट सं. 03 श्रीमती तृप्ति देवी के ससुर श्री मांगीलाल शर्मा (सेवक) की दिनांक 14.05.1999 को मृत्यु होने के पश्चात् पक्षकारान के अलावा मांगीलाल की विधवा श्रीमती कमला देवी शर्मा वारिस मौजूद थी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है । इन्तकाल सं. 1427 दिनांक 05.01.2016 एवं इंतकाल सं. 2799 दिनांक 20.01.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट श्रीमती पुष्पा देवी मृतक मांगीलाल की जाईन्दा पुत्री है । अपीलाण्ट की माता श्रीमती कमला देवी का निधन होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 2799 दिनांक 20.01.2016 को उसमें अपीलाण्ट व अन्य सभी रेस्पोडेण्ट्स के नाम पर विरासत से इन्तकाल फैसल किया गया। इसी प्रकार ग्राम सहाडा में भी अपीलाण्ट की माता श्रीमती कमला देवी के फौत होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 1427 दिनांक 05.01.2016 को फैसल किया गया। मृतक मांगीलाल शर्मा की विरासत में पटवारी हल्का सहाडा ने नामान्तरकरण सं. 119 दिनांक 30.06.1999 दायर कर जिसमें अपीलाण्ट का नाम सजरे में अंकित नहीं किया जबकि अपीलाण्ट श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा मृतक मांगीलाल शर्मा की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है । उसे भी रेस्पोडेण्ट्स के समान अधिकार होते हुए भी पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण में नाम दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार अपीलाण्ट मृतक मांगीलाल शर्मा की जाईन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विरासत कार्यवाही मे अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी है । रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस अपील

प्रकरण पर लागू नहीं होते है । अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त अपील के समर्थन में लागू होते है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है । अत एव –

-: *आदेशः* -

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है । ग्राम सहाडा तहसील सहाडा के नामान्तरकरण सं. 119 आदेश दिनांक 30.06.1999 तहसीलदार सहाडा कैम्प सहाडा का खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सहाडा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि अनुसार मृतक मांगीलाल शर्मा के वारिसान संबंधी आदेश पारित करें एवं नामान्तरकरण निर्णित करें । निर्णय की प्रति के साथ तलबिदा रिकार्ड नामान्तरकरण सं. 119 तहसीलदार सहाडा को लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/01/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)